

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013—आश्विन 5, शक 1935

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 1194-डूडा-2013.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनीता देवी वर्मा, वार्ड पार्षद (विस्मिल वार्ड क्र. 08) नगर पालिका परिषद् अम्बाह, जिला मुरैना के द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप पार्षद वार्ड क्र. 08 अम्बाह के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के कारण उनका त्याग पत्र मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40(2)(1) एक अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है.

एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर.

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

संशोधित अधिसूचना

अशोकनगर, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र.-1268-जनगणना-2013.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने उसमें संशोधित करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिए अनुसूची में उल्लेखित कालम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कालम नं. (5)

में उल्लेखित

उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र में नामित किया जा चुका है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई (2)	पदनाम (3)	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम (4)	संशोधित प्रशासनिक क्षेत्र (5)
5	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	सांविधिक नगरों (नगर पालिका/नगर पंचायत) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

संतोष मिश्र, जिलाध्यक्ष एवं
जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).